स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांक: 31/05/2019

File No. HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

2. निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
श्री अरविन्द मार्ग नई दिल्ली – 110016

विषयः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद(एन.सी.ई.आर.टी.) में स्टेनोग्राफर ग्रेड – 1/ वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पद पर संविधान के अनुसार जनजाति वर्ग को पर्याप्त और निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में श्री हरीश कुमार मीना, एन.सी.ई.आर.टी.एसटी कर्मचारी कल्याण संघ का दिनांक 25/06/2018 अभ्यावेदन के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 09.05.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 09.05.2019 को डा. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

31/5

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष एन.सी.ई.आर.टी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ,
कमरा सं. 12–सी. तृतीय तल, जानकी अंमाल खंड,
डीईएसएस, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली – 110016
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU - III)

श्री हरीश कुमार मीणा, एन.सी.ई.आर.टी एसटी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) में स्टेनेग्राफर ग्रेड- 1/ वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पद पर संविधान के अनुसार जनजाति वर्ग को पर्याप्त और निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 09.05.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री हरीश कुमार मीणा, अध्यक्ष एनसीईआरटी एससी-एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली ने दिनांक 25.06.2018 के अभ्यावेदन द्वारा एनसीईआरटी में स्टेनोग्राफर ग्रेड - 1/वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी जिससे पात्रता में शिथिलता/ अर्हक सेवा में छूट प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके।
2. मामले में आयोग में दिनांक 13.09.2018 को सिटिंग की गई थी जिसमें एनसीईआरटी के अधिकारी श्री हर्ष कुमार, सचिव और श्री आशुतोष मिश्रा, वी.एस.ओ तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी श्री टी.एस. रौतेला, उप सचिव और श्री राकेश कुमार प्रुथी उपस्थित हुए थे।
3. आयोग द्वारा दिनांक 13.09.2018 को हुई सिटिंग में निम्न अनुशंसा की गई थी:-
   - अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) को पदों को पदोन्नति से भरने के लिए भर्ती नियमों को इस प्रकार बदला जाए कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं 14017/48/2010 – स्था. (आर.आर.) दिनांक 31.10.2010 के पैरा

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.8.3 के अनुसार अनुभव में छूट का लाभ मिल सके तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर उन्हें नियमित पदोन्नति दी जाए।

- चूंकि उक्त कार्रवाई में कुछ समय लग सकता है अतः इस बीच उन्हें तत्काल तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को भरा जाए।

4. मामले में एनसीईआरटी द्वारा दिनांक 11.02.2019 के अपने पत्र में बताया गया था कि संगठन की कार्य क्षमता में कमी की स्थिति में अहर्ता में छूट दी जाती है और तदर्थ पदोन्नति दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत एक अवर सचिव को उप सचिव पद के लिए पहले ही एनसीईआरटी द्वारा पदोन्नति दी जा चुकी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) स्तर पर संगठन में कर्मियों की कमी नहीं है। साथ ही इस मामले में पदोन्नति दिए जाने पर संगठन में विसंगति उत्पन्न होगी। इस मामले में उम्मीदवार चार-पांच माह में स्वतः अहर्ता की श्रेणी में आ जाएंगे।

   मामले में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 15.02.2019 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 09.05.2019 को बैठक आहूत करने का निर्देश दिया गया था।

5. बैठक में आयोग ने पहले अभ्यावेदक का पक्ष जानना चाहा, अभ्यावेदक ने बताया कि पिछली बैठक में आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को तदर्थ (एडहॉक) पदोन्नति देने की अनुशंसा की गई थी। इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था। एनसीईआरटी द्वारा आयोग की अनुशंसा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिसंबर 2017 में एनसीईआरटी द्वारा सामान्य श्रेणी के तीन अवर सचिवों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी लेकिन हमें तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई।

   एनसीईआरटी के अधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार ही डीपीसी किया गया था। पदोन्नति के लिए स्किल टेस्ट लिया गया था जिसमें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मी फेल हो गए थे। स्टेनोग्राफर श्रेणी में फीडर कैटेगरी के कर्मियों के पास निर्धारित कार्यानुभव नहीं था जिसके कारण इन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। जून में इनका कार्यानुभव निर्धारित योग्यता के अनुसार पूरा हो जाएगा जिसके बाद पदोन्नति होगी। इसके लिए अग्रिम डीपीसी कराया जा चुका है ताकि किसी भी कर्मी को नुकसान नहीं हो।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. वर्ष 2004 में एनसीईआरटी में भर्ती निकली थी उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पदों पर भर्ती नहीं हुई। लगातार नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जाती है जिसके कारण विसंगति उत्पन्न हो रही है।
एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 2016 से नियमित रूप से भर्ती किया जा रहा है। सीट खाली रहने की स्थिति में तदर्थ पदोन्नति देकर सीट भरी जाती है।
7. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसा करता है :
   - एनसीईआरटी द्वारा नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। नियमित भर्ती नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पदों पर नियुक्ति नहीं मिल पाती है।
   - जून 2019 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाए।

30.5.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU - III)

श्री हरीश कुमार मीणा, एन.सी.ई.आर.टी एसटी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) में स्टेनोग्राफर ग्रेड- 1/ वैयक्तिक सहायक (पी.ए.) के पद पर संविधान के अनुसार जनजाति वर्ग को पर्याप्त और निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2019 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  1. डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय
  2. सुश्री अनुसूइया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
  4. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
  5. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
  6. श्री आलोक द्विवेदी, परामर्शक
- एनसीईआरटी के अधिकारी
  1. श्री हृषिकेश सेनापति, निदेशक
  2. श्री आशुतोष मिश्रा, सीएसओ
  3. श्रीमती आभा मुंजनी, उप सचिव
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारी
  1. श्री टी.एस रौतेला, उप सचिव
  2. श्री राकेश के. प्रुथी, परामर्शक
- अभ्यावेदक
  1. श्री हरीश कुमार मीणा